

कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बून्दी

दूरभाष नम्बर-0747 2443751

ई-मेल -Dlo.bun@Rajasthan.gov.in

क्रमांक-सान्याअवि/स्टोर/निविदा/2022-23/228

दिनांक 10-01-23

निविदा आमंत्रण सूचना 01/2022-23

श्रीमान् निदेशक एवं सुयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 7(2)(75)/रा.छा/बजट/सान्याअवि/2022-23/18646 दिनांक 30/11/2022 एवं राजस्थान लोक उपागम में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं लोक उपागम में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों में अन्तर्गत स्थानीय कार्यालय के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्मार्ट लेईडी टीवी कय किये जाने हैं, उक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक/समक्ष निविदा दाताओं/आपूर्तिकर्ताओं/प्राधिकृत डीलरों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रम संख्या	समग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि का 2 प्रतिशत अनुमानित लागत	निविदा पत्र शुल्क	फर्म अफ्लोड करने की दिनांक	डीडी कार्यालय में जमा करवाने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1	कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्मार्ट लेईडी टीवी	प्रत्येक 10	9,99,900	20,000/-	500/-	10.01.2023	27.01.2023 दोपहर 2.00 बजे तक	27.01.2023 3 बजे से

निविदा आमन्त्रण की शर्तें-

- बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा तय दिनांक व समय तक निविदा फर्म शुल्क राशि 500/- एवं बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत के डिमाण्ड/बेकर्स चैक जो कि **Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bund** के नाम से इस कार्यालय को जमा करवा दिया गया होगा।
- निर्धारित समय के पश्चात् कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। तथा निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा एवं सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। तथा निर्धारित समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- धरोवर/प्रतिभूति राशि केवल डीडी/बेकर्स चैक के रूप में ही स्वीकार की जावेगी, नकद स्वीकार नहीं की जावेगी।
- प्राप्त निविदाओं की निर्धारित दिनांक व समय पर उपागम समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं को सूचित कर दिया जायेगा। एवं आगामी कार्य दिवस को निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- सामान्य वित्त एवं लेखा नियम/राजस्थान लोक उपागम में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 की समस्त शर्तें व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश मान्य होंगे।

UBN Code - 50C 2223G 50B 000 203

NIB Code - 50C 2223A 0187



सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
बून्दी

क्रमांक-सान्याअवि/स्टोर/निविदा/2022-23/229-35

दिनांक 10-01-23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

- श्रीमान् निदेशक एवं सुयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बून्दी।
- श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक महोदय छात्रवृत्ति एवं छात्रावास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर को भेजकर लेख है कि नियमानुसार निविदा का प्रकाशन क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र बून्दी जिले स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डीपीआर दरों पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशन कराने का श्रम करावे।
- श्रीमान् वित्तीय सलाहकार महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान् एनालिसट कम प्रोग्रामर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन का श्रम करावे।
- नोटिस बोर्ड सूचना केन्द्र कलेक्ट्रेट/सान्याअवि बून्दी/कोष कार्यालय बून्दी।



सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
बून्दी



कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बून्दी

दूरभाष नम्बर-0747 2443751

ई-मेल -Dlo.bun@Rajasthan.gov.in

क्रमांक:-सान्याअवि/स्टोर/2023/154

दिनांक:- 10-01-2023

निविदा सूचना संख्या 01/2022-23

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा ब्लॉक क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु छात्रावासों में स्मार्ट एल.ई.डी टी.वी. एवं प्रिन्टर एवं कम्प्यूटर वित्त वर्ष 2022-23 के लिये वांछनीय है। अतः जिसकी अनुमानित लागत 9,99,900 रुपये है अतः बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/होलसेल निर्माता एवं वितरण/प्राधिकृत डीलर/उप डीलर/विपणन एजेंट से बिनाशर्त निविदा दिनांक 27.01.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जिसे उसी दिन दोपहर 03.00 बजे खोला जायेगा। बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट <http://sje.rajasthan.gov.in> या लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in एवं डी पी आर की वेबसाईट www.dipronline.org पर देखी जा सकती है।

UBN:

NIB CODE:

सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
बून्दी

दिनांक:- 10-01-2023

क्रमांक:-सान्याअवि/2022/

प्रतिलिपि:- 155-58

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त विज्ञप्ति की 03 प्रतियां भिजवाकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का नियमानुसार आपके विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावे एवं निविदा सूचना एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर प्रकाशित करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/जिला परिषद/बून्दी।

सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
बून्दी



कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बून्दी
दूरभाष नम्बर-0747 2443751

ई-मेल -Dlo.bun@Rajasthan.gov.in

क्रमांक:-सान्याअवि/स्टोर/2023/159

दिनांक:- 10-01-2023

तकनीकी बिड निविदा 01/2022-23

कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा ब्लॉक क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु छात्रावासों में स्मार्ट एल.ई.डी टी.वी. एवं प्रिन्टर एवं कम्प्यूटर वित्त वर्ष 2022-23 के लिये वांछनीय है। अतः जिसकी अनुमानित लागत 9,99,900 रुपये है अतः बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/होलसेल निर्माता एवं वितरण/प्राधिकृत डीलर/उप डीलर/विपणन एजेंट से बिनाशर्त निविदा दिनांक 27.01.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक बोलिया आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित मूल्य	बिड प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि(Bid Security)	निविदा ऑनलाईन करने की तिथि	निविदा डालने की तिथि	निविदा खोलने की तिथि	डी0डी0/धरोहर राशि जमा करवाने की तिथि
1.	10 कम्प्यूटर एवं 10 प्रिन्टर एवं 10 स्मार्ट एल.ई.डी टी.वी 43"	रुपये 9,99,900 लगभग	रु. 500 मात्र	रु 20,000/-	10.01.2023 प्रातः 09.30 बजे से	27.01. 2023 को दोपहर 02.00 बजे तक	27.01. 2023 को दोपहर 03.00 बजे	27.01.2023 को दोपहर 02.00 बजे तक

बिड की शर्त:-

- बोली प्रतिभूति बोण्ड के बिना प्राप्त बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- संविदा प्रपत्र, नियम/शर्त, संविदा से सम्बन्धित दस्तावेज आदि निर्धारित बिड प्रपत्र शुल्क रु. 500 का डीडी/बैंकर्स चैक Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi के कार्यालय में जमा कराकर 27/01/2023 दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं या वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in से बिड प्रपत्र Online Download कर भरकर प्रस्तुत किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र सील बंद लिफाफे में, जिसके उपर " कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ खुली निविदा" अंकित हो, Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi के कार्यालय में दिनांक 27.01.2023 को दोपहर 02:00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त बिड को दिनांक 27.01.2023 को दोपहर 03.00 बजे से उपस्थित बिडदाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi में खोला जाएगा।
- बिड के साथ में बिड प्रतिभूति राशि रु0 20,000/- पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी PAN Card की बिडदाता द्वारा स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
- निविदादाता को सभी सामग्री की दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उपापन संस्था न्यूनतम दर वाले संविदा को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी संविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी।समस्त मामलों में उपापन कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य रहेगा।
- बिड प्रपत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो समान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के प्रावधान व समय-समय पर किए गए संशोधन भी उक्त कोटेशन आमंत्रण सूचना पर लागू होंगे

सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
बून्दी



कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बून्दी

दूरभाष नम्बर-0747 2443751

ई-मेल -Dlo.bun@Rajasthan.gov.in

10-01-23

तकनीकी बिड निविदा 01/2022-23 / 160

कम्प्युटर, प्रिंटर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ

(अन्तर्गत सूचना संख्या 01/2023 क्रमांक:-सान्याअवि/2023/154 दिनांक:-10.01.2023)

1. बिड मूहरबंद लिफाफे में, जिसके उपर " कम्प्युटर, प्रिंटर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ खुली निविदा" अंकित हो, Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi के कार्यालय में दिनांक 27.01.2023 को दोपहर 02.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए।
2. प्राप्त निविदा को दिनांक 27.01.2023 को दोपहर 03.00 बजे से उपस्थित बिडदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
3. बिड प्रपत्र शुल्क रु. 500/- डी0डी0/बैंकर्स चैक/नकद रसीद नं0..... दिनांक.....
(Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi के नाम मुख्यालय पर भुगतान योग्य)
4. बिड प्रतिभूति राशि रु0 20,000/- के डी0डी0 की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

बोलीदाता निम्न दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी-

क्र.सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जावे
1.	1. बोलीदाता फर्म का पूरा नाम एवं पता (पंजीयन प्रमाण पत्रानुसार) 2. फोन नंबर STD Code सहित 3. ई मेल आई डी 4. अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद (Authorised signatory) (अधिकृत पत्रसंलग्न करावें) 5. मोबाईल नम्बर	
2.	बोली किससे संबंधित है	Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi
3.	बोली का सन्दर्भ	
4.	बिड प्रतिभूति घोषणा (रु. 20,000/- के डी0डी0 की प्रति)	
5.	बिड प्रपत्र शुल्क रु. 500/-	डी0डी0/बैंकर्स चैक/नकद रसीद नं0..... दिनांक.....
6.	PAN No. (पैन कार्ड) की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।	
7.	GST Registration No. (रजिस्ट्रेशन पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
8.	फर्म के बैंक खाते का विवरण 1. बैंक का नाम 2. ब्रांच का नाम 3. खाता संख्या 4. IFSC कोड	
9.	क्या फर्म को कभी केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची (Black Listed) में दर्ज किया गया है? यदि हाँ तो विवरण देवे और यदि नहीं तो Annexure -A में घोषणा करें।	

	विक्रेता/एकमात्र सोल या उप वितरक/प्राधिकृत डीलर/उप डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेंट होने के संबंध में घोषणा एस0आर0-11 संलग्न करें Annexure -B	
11.	संलग्न Annexure -C हस्ताक्षरित	
12.	संलग्न Annexure -D हस्ताक्षरित	
13.	संलग्न Annexure -E हस्ताक्षरित	

मैं/हम Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi द्वारा जारी की गई निविदा संख्या 01/2022 क्रमांक:-फा. ()computer/निविदा/2022/ दिनांक:- .01.2023 में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही हैं। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरुद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए समक्ष होगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)-
मोबाईल नम्बर

(कार्यालय)
ई-मेल

M/s
ADSTE

ब्लेक लिस्ट/अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा सामान/सामग्री की गुणवत्ता एवं सन्तोषप्रद आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न० (निवास)—

(कार्यालय)

मोबाईल नम्बर

ई-मेल


A/SRE

-:निविदादाताओं द्वारा घोषणा:-

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेंट/उप विक्रेता/विक्रेता हूँ/हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)-

(कार्यालय)

मोबाईल नम्बर

ई-मेल

R
ADSRB

कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बून्दी
दूरभाष नम्बर-0747 2443751
ई-मेल -Dlo.bun@Rajasthan.gov.in

तकनीकी बिड निविदा 01/2022-23
कम्प्युटर, प्रिंटर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ

Annexure-C



प्रिन्टर के लिए स्पेसिफिकेशन

क्र.स.	वांछित स्पेसिफिकेशन	आईटम विवरण
1	Brand	HP, CANAN or Equivalent
2	Series	Laserjet Black & White
3	Colour	any colour
4	Item Height	35 Centimeters to 40 Centimeters
5	Item Width	45 Centimeters to 50 Centimeters
6	Product Dimensions and Weight	45-50 X 40-50 X 35-40, 6 to 8 k.g.
7	Connectivity type	Wi- Fi, USB
8	Hardware Platform	Desktop laptop
9	Operating System	window 7 (32/64bit) 2008Server R2,8(32/64bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64), 2012 Server, 2016, Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, mac OS v10.13 High Sierra, macOS v 10.12 Sierra, OS X v 10.11 E I Capitan
10	Included Components	Leser MFP 136 w Printer; Preinstalled intyroduutory Leaser Jet Black Print cartridges (~1.5Kpages,CH/IN);Setup Guide; Reference Guide; Regulatory, Statements Flyer; Power cord; USB cable

स्मार्ट टी.वी. के लिए स्पेसिफिकेशन

क्र.स.	वांछित स्पेसिफिकेशन	आईटम विवरण
1	Size (Diagonal)	43"
2	Resolution (Minimum)	4k(3840*2160)
3	Brightness	350 nits or better
4	Contrast Ratio (Typical)	1200:01 or Higher
5	Viewing Angle (H x V)	178*178
6	Input (Minimum)	2 x HDMI, 2 x USB, 1 X Audio
7	Output (Minimum)	1 x HDMI, 1 x Audio
8	Wi-Fi Support	Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Built in Support
9	Speaker	Built-in speaker (12w+12w) or higher
10	Certifications/Compliance for the quoted Item/Model	BIS, Rohs Energy Star
11	Penel Technology	LED

AD SDF



कम्प्यूटर के लिए स्पेसिफिकेशन:

क्र.स.	वांछित स्पेसिफिकेशन	आईटम विवरण
1	Processor	Intel i3/ADM Ryzen-3(10th Generation/equivalent ADM 4 core, with minimum 3.0 GHz or higher (base frequency), 6 MB cache or higher
2	Chipset	Commercial class Compatible Intel/AMD Chipset
3	Memory (RAM)	8 GB DDR4 2666/2933 MHz or higher with minimum 2 DIMM Slots Expandable up to 32 GB
4	Storage	1 TB 7200 RPM SATA Drive and / or 512 GB SSD
5	Display	Minimum 19.0 Inch or higher, Resolution 1920x1080 or higher display, TCO Certified
6	Keyboard	OEM USB Keyboard
7	Mouse	OEM USB two button optical Mouse with mouse pad
8	Ports	Minimum 6 USB ports with at least 2 USB 3.0 ports, 1- VGA/HDMI, audio jack for headphone & microphone
9	Network Interface	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet
10	Graphics	Integrated Graphich Card
11	Operating System	Pre-installed Genuine OEM Microsoft Windows 10 professional (64 bit) with OEM recovery partition/recovery DVD
12	Warranty	3 Years comprehensive on site OEM warranty from data of Installation
13	Motherboard	OEM Motherboard with embossed logo on sticker
14	Accessories	All Necessary cables (power & data cables), 3 Mtr CAT 6 patch cord to be included
15	Antivirus	Preloaded (Latest version) Internet security of trend Micro/Quick heal/ symantec/ Sophos/ kaspersky with 3 years
16	Certification	ROHS Compliance, BEE/Energy Star Certified, EPEAT Certified
17	Optical drive	DVD R/W

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म उक्त तकनीकी मापदण्ड अनुसार सामग्री सप्लाय
करने को बाध्य रहेगें।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)-

(कार्यालय)

मोबाईल नम्बर


AD 5172

कम्प्युटर, प्रिंटर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ खुली निविदा 01/2022-23

नोट:-निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा प्रेषित करते समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए, इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इस निविदा/अनुबन्ध के क्रम में ली जाने वाली सभी आपूर्ति पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 प्रभावी होंगे।

1. निविदा दाताओं को निविदा सूचना, बिड प्रपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यालय **Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi** के नाम से संबोधन करते हुए मुहर बंद प्रथम लिफाफे में अपनी बिड जिस पर " **कम्प्युटर, प्रिंटर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ खुली निविदा तकनीकी बिड**" लिखा हो में प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय लिफाफे में **कम्प्युटर, प्रिंटर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ खुली निविदा वित्तीय बिड प्रपत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा।** दोनो ही लिफाफे को एक अन्य बड़े लिफाफे में जिस पर ' **कम्प्युटर, प्रिंटर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ खुली निविदा** " लिख कर कार्यालय में निर्धारित समय दिनांक 27.01.2023 को दोपहर 02:00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है।
2. बिड प्रपत्र मूहरबंद लिफाफे में कार्यालय **सामाजिक Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi** में व्यक्तिगत रूप से जमा कराई जा सकती है अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा सकती है। यदि लिफाफे पर उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित नहीं किया जाता है तो उपापन संस्था इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी। डाक से प्राप्त होने वाली निविदाएं निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। देरी एवं विलम्ब से प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। डाक डिलीवरी में रही किसी खामी के लिए उपापन संस्था कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी।
3. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तों की स्वीकृति एवं सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. बोलीदाता द्वारा निम्नानुसार बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-प्रथम लिफाफा
 - (1) निविदा प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित
 - (2) निविदा प्रपत्र का शुल्क (रु. 500/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की प्रति)
 - (3) बिड प्रतिभूति राशि रु0 20,000/- के बैंक ड्राफ्ट की प्रति।
 - (4) **Annexure-A,B,C,D** हस्ताक्षरित।
 - (5) GSTIn पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति।
 - (6) निविदादाता को पेनकार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि
 - (7) अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र जो बिड शर्तों के अधीन आवश्यक हो।
5. द्वितीय लिफाफा - **Annexure-E** हस्ताक्षरित (वित्तीय बोली प्रपत्र)
6. निविदाएं/बोली थोक विक्रेता/बोनाफाईड/प्राधिकृत डीलर/सोल एजेंट/विपणन एजेंट/सद्व्यवहारी द्वारा ही दी जाएगी। अतः **Annexure-B** (एसआर-11 प्रपत्र) में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
7. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र :- बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि निविदादाता राज्य में प्रचलित जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा।
8. आयकर प्रमाण पत्र एवं पेन नम्बर:-निविदादाता द्वारा पेन कार्ड की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी।
9. बिड प्रपत्र का मूल्य:-बिड प्रपत्र **Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi** में दिनांक 27.01.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक डी0डी0/बैंकर्स चैक/नकद रु. 500/- रु. जमा करा कर भी प्राप्त किए जा सकते हैं।
10. ब्लेक लिस्टेड के संबंध में घोषणा:-निविदादाता/बोलीदाता फर्म को **Annexure-A** में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा सामान/सामग्री की गुणवत्ता एवं सन्तोशप्रद आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।
11. संविदा प्रपत्र, नियम/शर्तें, संविदा से सम्बन्धित दस्तावेज आदि निर्धारित बिड प्रपत्र शुल्क रु. 500 का डीडी/बैंकर्स चैक **Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi** के कार्यालय में जमा कराकर 25/01/2023 दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं यो वेबसाईट **WWW.SPMP.RAJASTHAN.GOV.IN** से बिड प्रपत्र Online Download कर भरकर प्रस्तुत किया जा सकता है।
12. निविदा प्रपत्र का भरा जाना:-निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में, निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
13. बिड प्रपत्र शुल्क में किसी भी प्रकार की छुट प्रदान नहीं की जावेगी।
14. निविदादाता द्वारा राजस्थान की लघु उद्योग इकाई के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने अनिवार्य होंगे :- राजस्थान की लघु उद्योग इकाईयों जो आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत हैं, पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति एवं वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(1)साविलेनि/2007/दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 के बिन्दु संख्या 8 (आई) के अनुसार 100/- रुपये के

Asst. Dir.
AD, SJE

- आईटम का स्पष्ट उल्लेख हो। उक्त दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। उक्त दोनों प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा, और निर्धारित बिड प्रतिभूति घोषणा/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. **मूल्य अधिमान :-**मूल्य अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 एवं उसमें किये संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार क्रय अधिमान दिया जावेगा। प्रस्तुत दरों की तुलना प्रति आईटम एवं सभी आईटम की कुल लागत दोनों के आधार पर लिया जाकर निर्णय लिया जावेगा।
16. **दरों का अंकन:-**दरों को शब्दों और अंकों, दोनों में ही लिखा जाएगा। गलतियां तथा/अथवा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई संशोधन हों तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए और उन पर तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएं। प्रस्तुत दरों में, अंकों एवं शब्दों में वर्णित दरों में अन्तर नहीं होना चाहिए ऐसी परिस्थिति में जो भी दर कम होगी वो उपापन संस्था द्वारा मान ली जाएगी। माल का परिदान संबंधित स्थानों के परिसर पर किया जाएगा अतः निविदादाता को उक्त स्थानों पर एफ0ओ0आर0 दर प्रस्तुत की जानी होगी।
17. **वित्तीय दरें एवं सामग्री की प्रदायगी:-**
 (अ)वित्तीय बोली प्रपत्र में दरें सभी प्रकार के खर्चों (जैसे जी0एस0टी0, भाडा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर सहित) उल्लेखित की जाएगी। माल पहुँचाने का उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। दरों में जीएसटी की राशि सम्मिलित की जावे। सभी प्रकार के जीएसटी(CGST/RGST/IGST) का भुगतान बिल पर अलग से नहीं किया जाएगा। उसे कोट की गई दर में ही सम्मिलित माना जाएगा।
 (ब)बोलीदाता आवश्यक रूप से मूल दर(समस्त खर्चों सहित) का कॉलम में अंकन करेगा। यदि बोलीदाता वित्तीय बिड में किसी प्रकार के जीएसटी का मूल दर के निर्धारित कॉलम में मूल दर में जोड कर अंकन नहीं करता है तो प्रस्तुत दर जीएसटी सहित मानी जावेगी। ऐसी परिस्थिति में जीएसटी को अलग से दर्शाने या निविदादाता का किसी प्रकार का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं होगा।
 (स) वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 65 एवं 66 के अनुसार होगा।
18. **सामग्री का इंस्टालेशन:-**स्वीकृतकर्ता निविदादाता द्वारा कम्पनी प्रतिनिधि के मार्फत कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं स्मार्ट एल.ई.डी का सफल इंस्टालेशन करने के उपरान्त ही भुगतान संबंधित कार्यवाही की जावेगी।
19. **अस्वीकृत किया जाना :-**
 (अ)निरीक्षण के या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गयी वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
 (ब)तथापि, यदि सरकारी कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अंशतः साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी, निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
 (स)अस्वीकृति की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएंगी, उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नहीं होगा और उसे अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस रीति से कर दे जिसे वह उपयुक्त समझे।
20. **ऑनसाईड वारन्टी/गारंटी खण्ड:-**निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की इंस्टालेशन की दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि कार्यालय में इंस्टालेशन की अवधि से 3 वर्ष में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं तो निविदादाता स्वयं के खर्च पर सामग्री को बदल कर उपापन संस्था को उपलब्ध करवायेगा। प्रदाय की जा रही सामग्री की सर्विस गारन्टी भी निविदादाता को बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी तथा सर्विस सेन्टर कोटा स्थित होना आवश्यक है।
21. **परिदान कालावधि:-** जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो चुकी है वह सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रदाय आदेश की तारीख से निर्धारित कालावधि (15 दिवस) के भीतर कार्यालय को प्रदाय हेतु व्यवस्था करेगा।
22. **नमूना एवं तकनीकी मापदण्ड :-** Annexure-C में वर्णितानुसार सामग्री का तकनीकी रूप से निर्दिष्ट होना आवश्यक है। दिये गये तकनीकी मापदण्ड से कम की सामग्री स्वीकार्य नहीं होगी। जिस कम्पनी एवं मॉडल की किमत कोट की गई है उससे संबंधित कम्पनी का ब्रॉशर भी निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा या प्रस्तुत मॉडल एवं कोट की गई किमत के मॉडल के संबंध में उसके तकनीकी मापदण्ड को निविदादाता को अपने लेटरपेड पर लिख कर देना अनिवार्य होगा।
23. **प्राईस - शिड्युल:-** में वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसके लिए बोली स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। क्रय समिति न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगी। क्रय समिति बोली को स्वीकार करने/स्वीकार न करने/निरस्त करने या उसके किसी भी भाग को बिन कोई कारण बताए रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। क्रय समिति का निर्णय वैधानिक तौर पर सर्वोत्तम निर्णय माना जाएगा तथा सभी पक्षकारों के लिए मानने के लिए बाध्यकारी रहेगा।
24. **कार्यादेश की मात्रा एवं राशि की सीमा:-**यदि क्रय अधिकारी निविदत्त सामग्री में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा प्ररूप में वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजे हेतु किसी दावों का हकदार नहीं होगा। द बोली खोले जाने की दिनांक से 31.03.2023 तक के लिए लागू रहेंगी। निविदादाता को चाहे कार्य आदेश अलग-अलग समयवधी में दिये जाएं उसके द्वारा बिड प्रपत्र में भरी गई दरें ही दिनांक 31.03.2023 तक मान्य रहेगी एवं उन्ही दरों पर भुगतान स्वीकृत किया जाएगा।

संविदा में कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ अनुमानित लागत रु. 19,99,900 /-

AD 502

सीमा में कार्य आदेश स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर दिनांक 31.03.2023 तक दिये जा सकेंगे। अनुमानित लागत से कम या अधिक के कार्य आदेश देने हेतु उपापन संस्था स्वतंत्र रहेगी।

25. बिड प्रतिभूति बण्ड:- बिड प्रतिभूति राशि रु0 20,000/- के बैंक ड्राफ्ट की प्रति बिड प्रपत्र शुल्क के साथ तकनीकी बिड वाले लिफाफे में मूहरबंद कर दिनांक 27.01.2023 को दोपहर 02:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।
26. बिड प्रतिभूति राशि का समपहरण :- अग्रिम राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा :-
- (I) जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
- (II) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि हो, निष्पादित नहीं करता।
- (III) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
- (IV) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।
- (V) जब कोई बोलीदाता स्वीकृत की गई दरों की सूचना के 7 दिवस में अथवा वृद्धि की गई अवधि में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु निर्धारित अनुबंध पत्र भरकर नहीं देता है, तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी प्रकार की पूर्व सूचना बोलीदाता को नहीं दी जावेगी।
- (VI) यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 वं नियम 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।
- (VII) बोली प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
27. करार का निष्पादन:-

- 1-उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
- 2-सफल बोली लगाने वाले को 7 दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है। उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- 3-यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है 7 दिवस के भीतर संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। ऐसे मामलों में कार्यालय उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकेगा या उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगा।
- 4-बोली लगाने वाले को, उसके खर्च पर विनिर्दिष्ट मूल्य 500/- रु. के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा तथा उपापन संस्था को मूल करार पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- 5-करार का सम्पादन नहीं किये जाने पर निविदादाता को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 6-बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरे वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.03.2023 तक निर्णय हेतु वैध होगी एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा अन्यथा बोली पर शर्त संख्या 27 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
- (I) भागीदारी फर्मों के मामलों में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।
- (II) यदि फर्म, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष
- (III) एक मात्र स्वत्वधारित की दशा में निवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्यांक
- (IV) कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।

28. कार्य सम्पादन प्रतिभूति:-

- 1-सफल निविदादाता को जिस सामग्री के लिये निविदाएं स्वीकार की गई है उनके निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत राशि अनुबंध निष्पादन के समय कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी।
- 2-कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 3-कार्य सम्पादन प्रतिभूति हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो सामाजिक Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi के नाम से देय हो एवं कोटा मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो स्वीकार किया जायेगा।
- 4-कार्यादेश में दी गई सामग्री की संतोषप्रद रूप से आपूर्ति की जाने पर एवं इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
- 5-कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
29. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:-प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जा सकेगा :-

- 1-जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- 2-जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- 3-प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।



- 4-कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि उस मामले में जहाँ उपापन संस्था नमूनों को परीक्षण हेतु भिजवाती है एवं उसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त होने पर यदि निविदादाता तय समय सीमा में सामग्री को स्वयं के खर्च पर नहीं बदलता है तो बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
30. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय 15 दिवस को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रय समिति से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
31. भुगतान :-
- 1-आपूर्ति पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान सामग्री की जांच व सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में होने का प्रमाण पत्र स्थान(जहां सामग्री सप्लाई की गई है।) से प्राप्त होने के पश्चात किया जाएगा।
- 2-जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
- 3-विवादास्पद मदों के संबंध में, नियमानुसार राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
- 4-फर्म के बिलों से भुगतान के समय नियमानुसार करों की कटौती की जाएगी।
- 5-आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा भुगतान के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-
- (1)-बिल दो प्रतियों में
- (2)-पेन कार्ड की छाया प्रति
- (3)-बैंक पास बुक की छाया प्रति या बैंक चैक जिसमें निविदादाता का नाम हो।
32. वसूलियाँ:-परिनिर्धारित नुकसानी कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गयी वस्तुओं की वसूली साधारण तौर पर बिल में से कटौती करके की जाएगी। क्रय समिति कम प्रदाय, टूट-फूट/नुकसान या रद्द की गयी वस्तुओं की सीमा तक राशि को तब तक रोके रखेगा जब तक कि वे संतोषजनक रूप से बदली नहीं जाएगी। यदि प्रदायकर्ता ऐसा नहीं करता है तो राशि की वसूली उसको देय बकायों में से कर ली जाएगी। यदि कोई कार्य शेष रहे तो उसकी मांग प्रदायकर्ता से की जाएगी तथा जब वसूली संभव न हो, तो उपापन संस्था प्रवृत्त विधि का सहारा लेगी।
33. निविदादाता स्वयं की शर्त:-यदि निविदादाता ऐसी शर्तों को आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा पर संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
34. परिसमापित नुकसानी(L.D.):— परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बिडदाता प्रदाय करने में असफल रहा है (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्तें लागू होंगी)
- 1-विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिए विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
- 2-एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5प्रतिशत
- 3-आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीनचौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5प्रतिशत
- 4-विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
- 5-प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
- 6-परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- 7-यदि प्रदायकर्ता, किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा से घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- 8-यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
- 9-परिनिर्धारित क्षति राशि की कटौती फर्म के लम्बित भुगतान राशि के पेटे जमा राशि में से की जावेगी।
35. पुनरादेश:-सामान/वस्तु की राशि अनुमानित है। अनुबंध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय, अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है जो क्रय राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसरण में निम्नानुसार होगी:-
- (1)यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवास किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (2)अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिए जा सकेंगे। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी अनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी।
- पुनरादेशकी सीमाएं- मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत
36. आपूर्तिकर्ता विवर्जित करना/काली सूची में दर्ज करना:- निर्धारित समयवधि में विशेष परिस्थितियों में आपूर्ति की समयवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा आदेशित सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो दोरी फर्म को

नियमानुसार काली सूची में दर्ज करने/आगामी बोलियों में भाग लेने हेतु अधिकतम 3 वर्ष हेतु विवर्जित किया जा सकेगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

37. **विवाद**—यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को **Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi** को भेजा जायेगा, उसका निर्णय अन्तिम होगा।
38. **अपील**—यदि बोलीदाता/निविदादाता इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए उपापन संस्था द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील निर्धारित प्रक्रिया व फीस का भुगतान करने के पश्चात **Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi** को निर्णय/लोप होने के 10 दिन के भीतर कर सकेगा।

प्रथम अपील अधिकारी :- **Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi**

द्वितीय अपील अधिकारी :-निदेशक, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर

1. उक्त बोली शर्तों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटी होने पर विभागीय उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
2. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्ष का (सरकार या ठेकेदार) द्वारा उदयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
3. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों, 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

मैं/हम **Assistant Director, Social Justice and Empowerment Department, Bundi** द्वारा जारी की गई निविदा संख्या क्रमांक:- सान्याअवि/2023/निविदा/2023/ दिनांक:- .01.2023 में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए समस्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरुद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)-

(कार्यालय)

मोबाईल नम्बर

ई-मेल


AD SJE



कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बून्दी

दूरभाष नम्बर-0747 2443751

ई-मेल -Dlo.bun@Rajasthan.gov.in

वित्तीय बिड निविदा 01/2022-23

कम्प्युटर, प्रिंटर एवं स्मार्ट एल.ई.डी के क्रयार्थ

(अन्तर्गत सूचना संख्या 01/2022-23 क्रमांक:-सान्याअवि/2023/ दिनांक .01.2023)

क्र. सं.	नाम सामग्री	सप्लाय यूनिट	कम्पनी का नाम, मॉडल नम्बर/संख्या एवं वारन्टी/गारन्टी अवधि	आपूर्ति कर्ता द्वारा निविदित दर (समस्त खर्चों एवं जीएसटी सहित) प्रति यूनिट रु. में	
				अंकों में	शब्दों में
1	Desktop Computer System	10 नग (दर प्रति नग ही प्रस्तुत की जाए)			
2	Multi Function Printer with Cartridges	10 नग (दर प्रति नग ही प्रस्तुत की जाए)			
3	SMART LED T.V 43 INCH	10 नग (दर प्रति नग ही प्रस्तुत की जाए)			

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

पूर्ण पता

बिड दाता का नाम

टेलीफोन न० (निवास)-
(कार्यालय)

मोबाईल नम्बर
ई-मेल

[Handwritten Signature]
2023

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Doc1

Handwritten signature and initials

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Ms. [Signature]
[Signature]

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Ms. Anshu
20/11/20

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No of

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Handwritten signature
AW 5/23

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Handwritten signature and initials
10/07/10

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

[Handwritten signature]
23/4/11